

वन विभाग, हरियाणा सरकार,  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: FCA/e-849039/2978

दिनांक: 17-01-2023

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वन तथा वन्य प्राणी विभाग,  
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.09252 Ha. (instead of of 0.0095 Ha.) of forest land for approach access to the proposed retail outlet of Indian Oil Corporation Ltd. on Gurgaon-Jhajjar Road KM 10-11 L/side at village Budhera, under Forest Division & Distt Gurugram, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/149814/2021

मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम द्वारा M/s INDIAN OIL CORPORATION LTD के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.09252 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 4 वृक्ष (वाल्युम 3.40 m<sup>3</sup>) बाधक हैं जो कटवाए जाएंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजैन्सी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	168494.30
2.	Barbed Wire Fencing Charge	140000.00
3.	Supervisory Charge	16849.43
4.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैण्ड	1327675.00
5.	मृदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	50548.29
6.	Felling Charges	4080.00
7.	Exigency Charges	11399.16
	कुल	17,19,046.18

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Bandhwari Section 4&5 of PLPA 1900 पर 185 पौधें लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है।

उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार, द्वारा जारी Guideline के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त आपको ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),  
हरियाणा, पंचकुला

दिनांक: 17-01-2023

क्रमांक: FCA/e-849039/2979

एक प्रति क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को प्रेषित है।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),  
हरियाणा, पंचकुला

Full Title of the Project : Diversion of 0.09252 Ha. (instead of of 0.0095 Ha.) of forest land for

CFMSI- FRT/180/2023 - 249

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.09252 Ha. (instead of of 0.0095 Ha.) of forest land for approach access to the proposed retail outlet of Indian Oil Corporation Ltd. on Gurgaon-Jhajjar Road KM 10-11 L/side at village Budhera, under Forest Division & Distt Gurugram, Haryana.

**Online Proposal No. FP/HR/Approach/149814/2021**

**PART – IV**

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator Forests or Head of Forest Dept.)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks. (while giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon.)	<b>Recommended for approval.</b>
--	----------------------------------

Date : \_\_\_\_\_

Place : **Panchkula**

Signature

Name **Principal Chief Conservator of Forests**

Office Seal



**Haryana, Panchkula**

6/11/2023  
6/11/2023